Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में 3 अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर 10 स्थानों पर तलाशी शुरू**
- **चौंमू में पटवारी को 11 हजार रूपये की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, 19 नवम्बर। **राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेन्स नीति व भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आय से अधिक सम्पति भ्रष्ट साधनों से अर्जित करने के विरूद्ध** ए.सी.बी. ने 3 विभिन्न अधिकारियों की आसूचना एकत्र कर 3 प्रकरण पंजीबद्ध कर, उनके 10 ठिकानों पर औचक तलाशी शुरू की है। साथ ही चौंमू, जयपुर में एक अन्य ट्रेप कार्यवाही करते हुये भ्रष्ट पटवारी को 11 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय की इन्टेलिजेन्स शाखा, उदयपुर व कोटा इकाई द्वारा 3 विभिन्न अधिकारियों के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति भ्रष्ट साधनों से अर्जित करने की सूचना मिलने पर, आसूचना एकत्र कर उनके विरूद्ध एफ. आई.आर. दर्ज कर, तलाशी वारन्ट प्राप्त कर उनके विभिन्न ठिकानों पर सर्च की कार्यवाही शुरू की गई है।

प्रथम प्रकरण श्री गिरीश कुमार जोशी, अधीक्षक अभियंता ए.वी.वी.एन.एल. उदयपुर के विरूद्ध दर्ज किया जाकर उनके 4 स्थानों पर विभिन्न टीमों द्वारा सर्च श्री सुधीर जोशी अति. पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. उदयपुर के नेतृत्व में की जा रही है। सर्च को श्री हिंगलाज दान उप महानिरीक्षक पुलिस ए.सी.बी. उदयपुर द्वारा सुपरवाईज किया जा रहा है। श्री गिरीश कुमार जोशी द्वारा **प्रथमदृष्टया आय के आनुपातिक रूप से 8 करोड से अधिक अवैध सम्पति अर्जित** करने का अनुमान है।

द्वितीय प्रकरण श्री चिरंजीलाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बूंदी के विरूद्ध दर्ज किया जाकर उनके 4 ठिकानों पर विभिन्न टीमों द्वारा सर्च श्रीमती प्रेरणा शेखावत अति. पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. कोटा देहात के नेतृत्व में की जा रही है। तलाशी अभियान का सुपरविजन पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. कोटा श्री अनिल बेनीवाल द्वारा किया जा रहा है। ए.सी.बी. के **प्रथमदृष्टया आंकलन के अनुसार आरोपी श्री चिरंजीलाल द्वारा 2.68 करोड की अवैध सम्पति अर्जित** करने का अनुमान है।

तृतीय प्रकरण श्री सतीश कुमार गुप्ता सीनियर डी.जी.एम. (सिविल) रीको जयपुर (जो अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी है) के विरूद्ध दर्ज कर इनके 2 स्थानों पर सर्च कार्यवाही श्री आलोक शर्मा अति. पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. जयपुर शहर प्रथम के निर्देशन में की जा रही है। आरोपी श्री सतीश कुमार गुप्ता द्वारा ए.सी.बी. के **प्रथमदृष्टया आंकलन के अनुसार 4.13 करोड की अवैध सम्पति अर्जित** करने का अनुमान है।

साथ ही **एसीबी महानिदेशक श्री सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सीमा ज्ञान एवं नामांतरण खोलने की एवज में पटवार हल्का नांगल भरड़ा तहसील चौंमू के पटवारी राजेन्द्र मीणा द्वारा 11 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर **एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोतम वर्मा के नेतृत्व** में **श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम** द्वारा आज ट्रेप की कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र **मीणा पटवारी को 11 हजार रूपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

उक्त सभी प्रकरणों में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी अभियान का पर्यवेक्षण श्री दिनेश एम.एन. अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में इन्टेलिजेन्स शाखा के अति. पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा एवं अन्य टीमों द्वारा किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।